न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 38/2017 पुनः दर्ज 59/2017

उनवान

1 शंकर पुत्र मांगुराम (फौत)

1/1 राजेन्द्र पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी रघुनाथ पुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
1/2 किरण पुत्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी रघुनाथ पुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
1/3 ज्योति पुत्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी रघुनाथ पुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1 श्योपाल पुत्र मांगुराम (फौत)
1/1 भंवरलाल पुत्र श्योपाल (फौत)
1/1/1 महेश पुत्र भंवरलाल
1/1/2 सुरेश पुत्र भंवरलाल
1/1/3 विमला पुत्री भंवरलाल
1/1/4 सीता पुत्री भंवरलाल
1/1/5 सुरजी पत्नि भंवरलाल
समस्त जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
1/2 अर्जुन लाल पुत्र श्योपाल
1/3 ख्यालीराम पुत्र श्योपाल
1/4 भीवाराम पुत्र श्योपाल
1/5 सुभाष पुत्र श्योपाल(फौत)
1/5/1 मैनादेवी पत्नि सुभाष
1/5/2 निशा पुत्री सुभाष
1/5/3 सपता पुत्री सुभाष
1/5/4 प्रिया पुत्री सुभाष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मैना देवी
क. मैना पत्नी सुभाष
1/6 मनभरी पुत्री श्योपाल
1/7 सन्तोष पुत्री श्योपाल
2. बंशीधर पुत्र मांगुराम
3. लक्ष्मण पुत्र कानाराम
4. रामकरण पुत्र कानाराम
5. कैलाश पुत्र कानाराम
6. मोहन पुत्र कानाराम
7. श्रवण पुत्र सीताराम
8. छीतर पुत्र साधुराम
9. बीरबल पुत्र घासी
10 श्रीमती.शांति पत्नी घासीराम (फौत) नाम हजफ
11.छिमली देवी पुत्री घासी
12.मन्नी पुत्री घासी
13.सुणी पुत्री घासी
14.हनुमान पुत्र बीजाराम
15.बिरदा पुत्र बीजाराम(फौत)
15/1 कमला देवी पत्नी बिरदीचंद उर्फ बिरदा
15/2 रामनिवास पुत्र बिरदीचंद उर्फ बिरदा
15/3 कृष्णा देवी पुत्री बिरदीचंद उर्फ बिरदा
15/4 मनोज पुत्र बिरदीचंद उर्फ बिरदा
16. मंगल पुत्र सरदारा
समस्त जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
17. प्रबंधक थार ग्रामीण बैंक शाखा साईवाड तह0 शाहपुरा
18. उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपस्थित श्री मंगलचन्द एडवोकेट वादी
श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट प्रतिवादी
श्री रामनिवास गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी
श्री सुरजमल जाट एडवोकेट प्रतिवादी
श्री रवि शंकर अग्रवाल एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 31.8.2022

वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत पेश कर जाहिर किया कि खाता संख्या 128 की हाल आराजी खसरा नम्बर 241/476 रकबा 0.05 है0, 308/475 रकबा 0.11 है0, 309 रकबा 0.40 है0, 310 रकबा 0.41 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.97 है0 जो वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हाल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। खाता संख्या 129 के हाल आराजी खसरा नम्बर 314 रकबा 0.10 है0 315 रकबा 0.12 है0, 316 रकबा 0.14 है0, 317 रकबा 0.22 है0 वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 7 आना 2 पैसा में चौथा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 7 आना 2 पैसा में तीन हिस्से, प्रतिवादी संख्या 8 का 7 आना 2 पैसा व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 16 का एक आना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, हाल जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। खाता संख्या 130 के हाल आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 0.37 है0, 242 रकबा 0.02 है0, 243 रकबा 0.50 है0 खसरा नम्बर 244 रकबा 0.37 है0, 308 रकबा 0.29 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.55 है0 वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 3/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हाल जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। खाता संख्या 131 के हाल आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.52 है0 खसरा नम्बर 44 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.41 है0 खसरा नम्बर 46 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 52/481 रकबा 0.57 है0 खसरा नम्बर 325 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.10 है0, 327 रकबा 0.54 है0, 329 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.10 है0, 331 रकबा 0.17 है0, 332 रकबा 0.14 है0, 333 रकबा 0.14 है0, 334 रकबा 0.14 है0, 335 रकबा 0.50 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 5.09 है0 वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त खसरा नम्बरान सम्पूर्ण में वादी का 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 43 लगायत 52/481 कुल किता 7 कुल रकबा 3.04 है0 में 1/8 हिस्सा अलग से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, प्रतिवादी सं0 1 के 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के सम्पूर्ण में 1/8 हिस्सा खसरा नम्बर 43 लगायत 52/482 कुल किता 7 रकबा 3.04 है0 में 1/8 हिस्सा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का खसरा नम्बर 325 लगायत 335 कुल किता 10 रकबा 2.05 है0 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का सम्पूर्ण जोत में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है हाल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का अर्सा 40 वर्ष पूर्व बाहमी मनबंटवारा सम्पूर्ण खातेदारों की सहमति से कर दिया गया था तथा वादी तभी से अपने बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा खाता संख्या 131 में खसरा नम्बर 43 लगायत 52/481 कुल किता 7 रकबा 3.04 है0 में हिस्सा 1/8 पर वादी कब्जा आबाद था जिस प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के हक में जरिए रजिस्टर्ड हक त्याग किया गया जिसका नामान्तकरण वादी के हक में दिनांक 20.08.2014 को नामान्तकरण संख्या 301 द्वारा खुला। उक्त आराजीयात वादी के भूमि जो सीकर जिले में पड़ती थी के बदले किया गया है जबकि वादी अर्सा 40 वर्ष से ही कब्जा आबाद चला आ रहा था। बाहमी बंटवारे के मुताबिक वादी के हिस्से में सम्पूर्ण आराजीयात में से खसरा नम्बर 243 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 333 रकबा 0.14 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 334 रकबा 0.14 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 49 रकबा 0.31 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 44 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 45 का रकबा 0.18 है0 भाग पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 44 से लगता उत्तर दक्षिण का हिस्सा आया था व खसरा नम्बर 310 के रकबा 0.0528 है0 भूमि पर वादी के कदमी से आवसीय मकानात बने हुए है जिसमें वादी परिवार सहित निवास करता रहा है, तथा अर्सा 40 वर्षों से ही वादी अपने हिस्से में आई उपरोक्त आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा बाहमी बंटवारे से ही अपनी भूमि को विकसित करने जुट गया तथा भूमि को उपजाऊ बनाया पानी सिंचाई हेतु बोरिंग का निर्माण करवाया अच्छा खाद डाला भूमि को समलत करवाया जिसमें वादी के लाखों रूपये खर्च हो गये। वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 को कई मर्तबा निवेदन करता रहा है कि उसके हिस्से में आई मनबंटवारे की भूमि का अलग से बंटवारा कर सम्पूर्ण खातेदारों की खातेदारी रिकार्ड में से अलग कर वादी के स्वयं के नाम अलग से खातेदारी दर्ज करवा दी जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा दी जावे इस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 वादी को आश्वासन देते रहे है कि आपके हिस्से की उक्त भूमि आपके हिस्से व कब्जा काश्त में है जिसका तुम उपयोग उपभोग अपने हिसाब करते रहे हो उक्त आराजीयात से हमारा संबंध सरोकार नहीं है। तथा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कब्जा आपका है ही राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज अलग खातेदारी दिलवा देंगे। इस पर वादी प्रतिवादीगण पर विश्वास करता रहा तथा अपनी उक्त वर्णित हिस्से की भूमि को विकसित करता रहा है तथा कब्जा काश्त करता रहा है। अर्सा 1 माह पूर्व वादी ने अन्य प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 को उक्त वर्णित आराजीयात में से वादी के मनबंटवारे में आई उपरोक्त वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी भूमि हटाकर अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अलग खातेदारी दिलवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे इस पर वादी अपने समाज व रिश्तेदारों को इकट्ठा किया तथा अपनी खातेदारी अलग करवाने के लिए कहा इस पर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने प्रतिवादीगण को समझाया तथा वादी के बंटवारे में आई मनबंटवारे की आराजीयात वादी के रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने। प्रतिवादी संख्या 17 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से की भूमि को रहन दर्ज करवा रखी है इसलिए प्रतिवादी संख्या 17 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिससे प्रतिवादी संख्या 17 अपने हक तक अपनी पैरवी कर सके। प्रतिवादी संख्या 18 व 19 लोक अभियोजक है तथा लोक अभियोजक को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने से पूर्व 80 सी.पी. सी का 60 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है दावे की प्रकृति बदलने की पूरी–पूरी संभावना के चलते उक्त प्रतिवादीगण को पक्षकार मुकदमा बनाने की छूट लेने हेतु मान्य न्यायालय के समक्ष अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर दावे में पक्षकार बनाने की अनुमति चाही है। अन्त में वादीगण ने उक्त आराजी का वादी के हक में बाहमी बंटवारे में आई खसरा नम्बर 243, 233, 334, 49, 44, सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 45 का पश्चिमी हिस्सा उत्तर पूर्व खसरा नम्बर 44 से लगतीहुइ खसरा नम्बर 310 में 0.0528 के बंटवारे को मान्य करार दिया जाकर वादी के रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावे तथा अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया गया ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई । प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 की ओर से श्री सूरजमल जाट एडवोकेट तथा प्रतिवादी सं0 15 व 16 की ओर से श्री रामनिवास गुर्जर एवं श्री सुरेन्द्रसिंह एडवोकेट ने तथा प्रतिवादी सं0 7 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया तथा अन्य पक्षकारान के द्वारा प्रकरण में उपस्थित नहीं आने पर विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रकरण में पेश प्रार्थनापत्रों का विधिवत निस्तारण करते हुए तथा कोई जवाबदावा पेश नहीं होने पर प्रकरण में दिनांक 8.6.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनेपत्र कमांक भूअ0/2021/ 882 दिनांक 26.3.2021 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई । वकील प्रतीवादी सं0 7 की ओर से प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया कि प्रतिवादी सं0 8 छीतर नाम कोई लडका नहीं है, वादी ने जो पक्षकार बनाया है वह छीतर न होकर सीताराम है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा वादी ने सीताराम के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने से यह वादपत्र खारिज किया जावे । इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 16 की ओर से आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पेश किया कि तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा इस न्यायालय के आदेश के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट पेश नहीं करने से खारिज किया जाकर पुनः बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई जावे ।

वकील वादी के द्वारा जवाब प्रा0पत्र पेश कर जाहिर किया कि उक्त वादपत्र में बंटवारा के समय शामलाती में सह खातेदार के दर्ज नाम के अनुसार पक्षकार बनाया गया था तथा अब उक्त खातेदार का शामलाती भूमि में दर्ज नाम खसरा नम्बर 314 से 317 का वाद पत्र से हजब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है तथा जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में भी आराजी खसरा नम्बर 314 से 317 को यथावत शामलाती में रखते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की है तथा शेष आराजी खसरा नम्बरान का विधिवत निरीक्षण कर कुर्रेजाते रिपोर्ट पेश की गई है ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन पर पाया गया कि प्रतिवादीगण का मुख्य आरोप प्रतिवादी सं0 8 के नाम दर्ज छीतर पुत्र साधू के नाम दर्ज भूमि को लेकर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हुआ है जबकि वादीगण के द्वारा प्रतिवादी स08 के नाम दर्ज भूमि के सम्बन्ध में दावे से हजब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है तथा तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी सं0 8 के नाम दर्ज भूमि को यथावत रखते हुए तथा शेष खसरा नम्बर का बंटवारा हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। इस प्रकार विवादित आराजी के सम्बन्ध में वादी के द्वारा भी बंटवारा नहीं करने तथा वाद पत्र से उक्त खसरा नम्बर हजब करने का प्रार्थना पत्र पेश होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी व आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट का खारिज किया जाता है, तथा आराजी खसरा नम्बर 314 से 317 का वाद पत्र से खसरा नम्बर हजब वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 314 से 317 के अलावा शेष खसरा नम्बरान का मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से में भूमि रहेगी ।
1	310/2	0.40 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/20, मोहन पुत्र काना हि0 1/20, रामकरण पुत्र काना हि0 1/20 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/20, बंशीधर पुत्र मांगूराम हि0 1/8, शंकर पुत्र मांगूराम हि0 9/80 शिवपाल पुत्र मांगूराम हि0 3/10, श्रवण पुत्र सीता हि0 21/80, जाति गुर्जर सा0 देह रहन बदस्तू हि0 श्रवण का ।
2	310/1 309/1 241/476/1 कुल किता 3	0.01 है0 0.03 है0 0.0150 है0 कुल रकबा 0.0550 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/24, मोहन पुत्र काना हि0 1/24, रामकरण पुत्र काना हि0 1/24 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/24, बंशीधर पुत्र मांगूराम हि0 1/8, शंकर पुत्र मांगूराम हि0 1/8 शिवपाल पुत्र मांगूराम हि0 1/8, श्रवण पुत्र सीता हि0 1/2, जाति गुर्जर सा0 देह रहन बदस्तू हि0 श्रवण का ।
3	309/2	0.3550 है0	श्रवण पुत्र सीता हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह रहन बदस्तूर
4	309/3 308/475 241/476/3 कुल किता 3	0.0150है0 0.11 है0 0.02 है0 कुल रकबा 0.1450 है0	शिवपाल पुत्र मांगूराम हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह के खाते में रहेगी ।
5	241/476/2	0.0150 है0	बंशीधर पुत्र मांगूराम हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह के खाते में रहेगी ।
6	243/2	0.4450 है0	शंकर पुत्र मांगया हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देहखातेदार
7	243/3 244 308/2 कुल 3	0.0350 है0 0.37 है0 0.0650 है0 कुल 0.4700 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/4, मोहन पुत्र काना हि0 1/4, रामकरण पुत्र काना हि0 1/4 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
8	308/1	0.2250 है0	श्योपाल पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह
9	241/2	0.36 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह के खाते में रहेगी ।
10	241 243/1 242 कुल किता 3	0.01 है0 0.02 है0 0.02 है0 कुल 0.05 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 1/4, शंकर पुत्र मांग्या हि0 1/4 श्योपाल पुत्र मांग्या हि0 1/4, कैलाश पुत्र काना हि0 1/16 मोहन पुत्र काना हि0 1/16, रामकरण पुत्र काना हि0 1/16, लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/16, जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
11	326 322/1 327/3 कुल 3	0.10 है0 0.1250 है0 0.0300 है0 कुल 0.2550 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/4, मोहन पुत्र काना हि0 1/4, रामकरण पुत्र काना हि0 1/4 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 देहखातेदार
12	333 334/1 कुल किता 2	0.1400 है0 0.1150 है0 कुल 0.2550 है0	शंकर पुत्र मांगया हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
13	331/1 325 कुल किता 2	0.1450 है0 0.11 है0 कुल 0.2550 है0	श्योपाल पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
14	327/2 330 329 कुल किता 3	0.05 है0 0.10 है0 0.11 है0 कुल 0.26 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
15	335 327/1 331/2 332 334/2 कुल किता 5	0.50 है0 0.46 है0 0.0250 है0 0.0150 है0 0.0250 है0 कुल 1.0250 है0	श्रवण पुत्र सीता हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन बदरस्तुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

16	45/2 48/1 52/481/1 कुल किता 3	0.23 है0 0.21 है0 0.32 है0 कुल 0.76 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
17	44 49 45/1 कुल किता 3	0.27 है0 0.31 है0 0.18 है0 कुल 0.76 है0	शंकर पुत्र मांगया हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
18	43 46 48/2 52/481/2 कुल किता 4	0.52 है0 0.65 है0 0.10 है0 0.25 है0 कुल 1.52 है0	श्रवणलाल पुत्र सीता हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन बदरस्तुर

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा, । साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांकः 31.8.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहनमीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 38/2017 पुनः दर्ज 59/2017

उनवान

1 शंकर पुत्र मांगुराम (फौत)

1/1 राजेन्द्र पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी रघुनाथ पुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
1/2 किरण पुत्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी रघुनाथ पुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
1/3 ज्योति पुत्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी रघुनाथ पुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1 श्योपाल पुत्र मांगुराम (फौत)
1/1 भंवरलाल पुत्र श्योपाल (फौत)
1/1/1 महेश पुत्र भंवरलाल
1/1/2 सुरेश पुत्र भंवरलाल
1/1/3 विमला पुत्री भंवरलाल
1/1/4 सीता पुत्री भंवरलाल
1/1/5 सुरजी पत्नि भंवरलाल
समस्त जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
1/2 अर्जुन लाल पुत्र श्योपाल
1/3 ख्यालीराम पुत्र श्योपाल
1/4 भीवाराम पुत्र श्योपाल
1/5 सुभाष पुत्र श्योपाल(फौत)
1/5/1 मैनादेवी पत्नि सुभाष
1/5/2 निशा पुत्री सुभाष
1/5/3 सपता पुत्री सुभाष
1/5/4 प्रिया पुत्री सुभाष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मैना देवी
क. मैना पत्नी सुभाष
1/6 मनभरी पुत्री श्योपाल
1/7 सन्तोष पुत्री श्योपाल
2. बंशीधर पुत्र मांगुराम
3. लक्ष्मण पुत्र कानाराम
4. रामकरण पुत्र कानाराम
5. कैलाश पुत्र कानाराम
6. मोहन पुत्र कानाराम
7. श्रवण पुत्र सीताराम
8. छीतर पुत्र साधुराम
9. बीरबल पुत्र घासी
10 श्रीमती.शांति पत्नी घासीराम (फौत) नाम हजफ
11.छिमली देवी पुत्री घासी
12.मन्नी पुत्री घासी
13.सुणी पुत्री घासी
14.हनुमान पुत्र बीजाराम
15.बिरदा पुत्र बीजाराम(फौत)
15/1 कमला देवी पत्नी बिरदीचंद उर्फ बिरदा
15/2 रामनिवास पुत्र बिरदीचंद उर्फ बिरदा
15/3 कृष्णा देवी पुत्री बिरदीचंद उर्फ बिरदा
15/4 मनोज पुत्र बिरदीचंद उर्फ बिरदा
16. मंगल पुत्र सरदारा
समस्त जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तह० शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रबंधक थार ग्रामीण बैंक शाखा साईवाड़ तह0 शाहपुरा
. उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा
.9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री मंगलचन्द एडवोकेट वादी
श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट प्रतिवादी
श्री रामनिवास गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी
श्री सुरजमल जाट एडवोकेट प्रतिवादी
श्री रवि शंकर अग्रवाल एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 31.8.2022

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त करॅजात रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 314 से 317 के अलावा शेष खसरा नम्बरान का मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है कि :–

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से में भूमि रहेगी ।
1	310/2	0.40 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/20, मोहन पुत्र काना हि0 1/20, रामकरण पुत्र काना हि0 1/20 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/20, बंशीधर पुत्र मांगूराम हि0 1/8, शंकर पुत्र मांगूराम हि0 9/80 शिवपाल पुत्र मांगूराम हि0 3/10, श्रवण पुत्र सीता हि0 21/80, जाति गुर्जर सा0 देह रहन बदस्तू हि0 श्रवण का ।
2	310/1 309/1 241/476/1 कुल किता 3	0.01 है0 0.03 है0 0.0150 है0 कुल रकबा 0.0550 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/24, मोहन पुत्र काना हि0 1/24, रामकरण पुत्र काना हि0 1/24 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/24, बंशीधर पुत्र मांगूराम हि0 1/8, शंकर पुत्र मांगूराम हि0 1/8 शिवपाल पुत्र मांगूराम हि0 1/8, श्रवण पुत्र सीता हि0 1/2, जाति गुर्जर सा0 देह रहन बदस्तू हि0 श्रवण का ।
3	309/2	0.3550 है0	श्रवण पुत्र सीता हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह रहन बदस्तूर
4	309/3 308/475 241/476/3 कुल किता 3	0.0150है0 0.11 है0 0.02 है0 कुल रकबा 0.1450 है0	शिवपाल पुत्र मांगूराम हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह के खाते में रहेगी ।
5	241/476/2	0.0150 है0	बंशीधर पुत्र मांगूराम हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह के खाते में रहेगी ।
6	243/2	0.4450 है0	शंकर पुत्र मांगया हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देहखातेदार
7	243/3 244 308/2 कुल 3	0.0350 है0 0.37 है0 0.0650 है0 कुल 0.4700 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/4, मोहन पुत्र काना हि0 1/4, रामकरण पुत्र काना हि0 1/4 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
8	308/1	0.2250 है0	स्योपाल पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह
9	241/2	0.36 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह के खाते में रहेगी ।
10	241 243/1 242 कुल किता 3	0.01 है0 0.02 है0 0.02 है0 कुल 0.05 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 1/4, शंकर पुत्र मांग्या हि0 1/4 स्योपाल पुत्र मांग्या हि0 1/4, कैलाश पुत्र काना हि0 1/16 मोहन पुत्र काना हि0 1/16, रामकरण पुत्र काना हि0 1/16, लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/16, जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
11	326	0.10 है0	कैलाश पुत्र काना हि0 1/4, मोहन पुत्र काना हि0 1/4,

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

	322/1 327/3 कुल 3	0.1250 है0 0.0300 है0 कुल 0.2550 है0	रामकरण पुत्र काना हि0 1/4 लक्ष्मण पुत्र काना हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 देहखातेदार
12	333 334/1 कुल किता 2	0.1400 है0 0.1150 है0 कुल 0.2550 है0	शंकर पुत्र मांगया हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
13	331/1 325 कुल किता 2	0.1450 है0 0.11 है0 कुल 0.2550 है0	श्योपाल पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
14	327/2 330 329 कुल किता 3	0.05 है0 0.10 है0 0.11 है0 कुल 0.26 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
15	335 327/1 331/2 332 334/2 कुल किता 5	0.50 है0 0.46 है0 0.0250 है0 0.0150 है0 0.0250 है0 कुल 1.0250 है0	श्रवण पुत्र सीता हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन बदरस्तुर
16	45/2 48/1 52/481/1 कुल किता 3	0.23 है0 0.21 है0 0.32 है0 कुल 0.76 है0	बंशी पुत्र मांग्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
17	44 49 45/1 कुल किता 3	0.27 है0 0.31 है0 0.18 है0 कुल 0.76 है0	शंकर पुत्र मांगया हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार
18	43 46 48/2 52/481/2 कुल किता 4	0.52 है0 0.65 है0 0.10 है0 0.25 है0 कुल 1.52 है0	श्रवणलाल पुत्र सीता हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन बदरस्तुर

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा, । साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 31.8.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	